

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 153 /न०वि०एवंआ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-23-3-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 23 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) मात्र की दर से 06 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत 23 नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 06 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	छः माह हेतु स्वीकृत मानदेय की राशि (4*6)
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, आरा	1	32,870.00	1,97,220.00
2	नगर निगम, मुंगेर	1	32,870.00	1,97,220.00
3	नगर निगम, भागलपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
4	नगर निगम, गया	2	65,740.00	3,94,440.00
योग (क)		5	1,64,350.00	9,86,100.00
5	नगर परिषद, बाढ़	1	32,870.00	1,97,220.00
6	नगर परिषद, दानापुर	1	32,870.00	1,97,220.00
7	नगर परिषद, जहानाबाद	1	32,870.00	1,97,220.00
8	नगर परिषद, बेतिया	1	32,870.00	1,97,220.00
9	नगर परिषद, फारविसगंज	1	32,870.00	1,97,220.00
10	नगर परिषद, अरवल	1	32,870.00	1,97,220.00
11	नगर परिषद, बगहा	1	32,870.00	1,97,220.00
12	नगर परिषद, डुमराँव	1	32,870.00	1,97,220.00
योग (ख)		8	2,62,960.00	15,77,760.00
13	नगर पंचायत, राजगीर	1	32,870.00	1,97,220.00

14	नगर पंचायत, मोहनियाँ	1	32,870.00	1,97,220.00
15	नगर पंचायत, सोनपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
16	नगर पंचायत, घोघरडीहा	1	32,870.00	1,97,220.00
17	नगर पंचायत, नवगछिया	1	32,870.00	1,97,220.00
18	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
19	नगर पंचायत, परसा बाजार	1	32,870.00	1,97,220.00
20	नगर पंचायत, बेलसंड	1	32,870.00	1,97,220.00
21	नगर पंचायत, बिहियाँ	1	32,871.00	1,97,226.00
22	नगर पंचायत, दीघवारा	1	32,872.00	1,97,232.00
योग (ग)		10	2,95,831.00	19,72,218.00
कुल योग (क+ख+ग)		23	7,23,141.00	45,36,078.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र।

**इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।**

2. विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 लाख (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) कर दिया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान मार्च, 2017 से किया जायेगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 तक (06 माह) के लिए बढ़े हुए दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत) के संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् संबंधित नगर निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
8. उक्त स्वीकृत राशि ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-
- (क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 4 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹9.86100 लाख (नौ लाख छियासी हजार एक सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801910015** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।
- (ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 5 से 12 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹15.77760 लाख (पंद्रह लाख सतहत्तर हजार सात सौ साठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0008-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0008.31.04-सहायक अनुदान- वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801920008** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।
- (ग) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 13 से 22 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹19.72218 लाख (उन्नीस लाख बहत्तर हजार दो सौ अठारह रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0007-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0007.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801930007** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।
9. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2018 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 के पृष्ठ सं०-101...../टि० पर दिनांक-21.3.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-102...../टि० पर दिनांक-21.3.18 को प्राप्त है।
11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

५

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*23.3.18*

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 153 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-23-3-18

**प्रतिलिपि:-** संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

*23.3.18*

सरकार के विशेष सचिव।

*23.3.18*

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम- आरा, मुंगेर, भागलपुर एवं गया।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद्- बाढ़, दानापुर, जहानाबाद, बेतिया, फारविसगंज, अरवल, बगहा एवं डुमराँव।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- राजगीर, मोहनियाँ, सोनपुर, घोघरडीहा, नवगछिया, मखदुमपुर, परसा बाजार, बेलसंड, बिहियां एवं दीघवारा।

पटना, दिनांक- 23/03/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 23 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) मात्र की दर से 06 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत 23 नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 06 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-153 दिनांक-23/03/18 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	छः माह हेतु स्वीकृत मानदेय की राशि (4*6)
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, आरा	1	32,870.00	1,97,220.00
2	नगर निगम, मुंगेर	1	32,870.00	1,97,220.00
3	नगर निगम, भागलपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
4	नगर निगम, गया	2	65,740.00	3,94,440.00
योग (क)		5	1,64,350.00	9,86,100.00
5	नगर परिषद्, बाढ़	1	32,870.00	1,97,220.00
6	नगर परिषद्, दानापुर	1	32,870.00	1,97,220.00
7	नगर परिषद्, जहानाबाद	1	32,870.00	1,97,220.00
8	नगर परिषद्, बेतिया	1	32,870.00	1,97,220.00
9	नगर परिषद्, फारविसगंज	1	32,870.00	1,97,220.00
10	नगर परिषद्, अरवल	1	32,870.00	1,97,220.00

(राशि रुपये में)

11	नगर परिषद्, बगहा	1	32,870.00	1,97,220.00
12	नगर परिषद्, डुमराँव	1	32,870.00	1,97,220.00
<b>योग (ख)</b>		<b>8</b>	<b>2,62,960.00</b>	<b>15,77,760.00</b>
13	नगर पंचायत, राजगीर	1	32,870.00	1,97,220.00
14	नगर पंचायत, मोहनियाँ	1	32,870.00	1,97,220.00
15	नगर पंचायत, सोनपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
16	नगर पंचायत, घोघरडीहा	1	32,870.00	1,97,220.00
17	नगर पंचायत, नवगछिया	1	32,870.00	1,97,220.00
18	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
19	नगर पंचायत, परसा बाजार	1	32,870.00	1,97,220.00
20	नगर पंचायत, बेलसंड	1	32,870.00	1,97,220.00
21	नगर पंचायत, बिहियाँ	1	32,871.00	1,97,226.00
22	नगर पंचायत, दीघवारा	1	32,872.00	1,97,232.00
<b>योग (ग)</b>		<b>10</b>	<b>2,95,831.00</b>	<b>19,72,218.00</b>
<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>		<b>23</b>	<b>7,23,141.00</b>	<b>45,36,078.00</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०)

मात्र।

- विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 लाख (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) कर दिया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान मार्च, 2017 से किया जायेगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 तक (06 माह) के लिए बढ़े हुए दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत) के संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे,** जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् संबंधित नगर निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय।
- चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

8. उक्त आवंटित राशि ₹45.36078 (पैंतालीस लाख छत्तीस हजार अठहत्तर रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 4 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹9.86100 लाख (नौ लाख छियासी हजार एक सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801910015** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 5 से 12 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹15.77760 लाख (पंद्रह लाख सतहत्तर हजार सात सौ साठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0008-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0008.31.04-सहायक अनुदान- वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801920008** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 13 से 22 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹19.72218 लाख (उन्नीस लाख बहत्तर हजार दो सौ अठारह रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0007-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0007.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801930007** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

9. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2018 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

५

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*23.3.18*

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 154 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-23/3/18

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

*23.3.18*

सरकार के विशेष सचिव।

*R. L. Khan*